आदेश पत्रक
न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : आजमगढ़, जनपद : आजमगढ़, तहसील : मेहनगर
वाद संख्या :– 0258/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :– T202215520200258
रामजनम पुत्र राजनरायन, भोपालपुर बनाम उ0 प्र0 सरकार
अन्तर्गत धारा :– 80, अधिनियम :– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी रामजनम पुत्र श्री राजनरायन निवासी ग्राम–भोपालपुर, परगना–बेला दौलताबाद, तहसील–लालगंज, जनपद–आजमगढ़ द्वारा ग्राम–उमरी गनेशपुर के खाता संख्या–238 के गाटा संख्या–761 रकबा–0.6470 हे0 व गाटा संख्या–764 रकबा–0.4390 हे0 के सम्बन्ध में वाद दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि वादी आराजी उपरोक्त का भूमिधर काबिज दाखिल बैनामा जिसपर वादी बतौर भूमिधर काबिज दाखिल है तथा इस भूमि को वादी ने पैतृक खतौनी हासिल किया है वादी वादग्रस्त भूमि को आबादी घोषित करना चाहता है। जो कि नियमानुसार हम रामजनम पुत्र श्री राजनरायन कायम है। अन्त में कहा गया कि वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाय।

प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीलदार से जाँच आख्या प्राप्त की गयी उनके द्वारा दिनांक 07.02.2022 रिपोर्ट दी गयी कि खाता संख्या–238 के गाटा संख्या–761 रकबा–0.6470 हे0 व गाटा संख्या–764 रकबा–0.4390 हे0 को अकृषिक घोषित करने हेतु संस्तुति की गयी है।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया नायब तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि खाता संख्या–238 के गाटा संख्या–761 रकबा–0.6470 हे0 व गाटा संख्या–764 रकबा–0.4390 हे0 में मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत हो रहा है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम–उमरी गनेशपुर के खाता संख्या–238 के गाटा संख्या–761 रकबा–0.6470 हे0 व गाटा संख्या–764 रकबा–0.4390 हे0 भूमि अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है आदेश की एक प्रति उप निबन्धक मेहनगर को नियमानुसार पंजीयन हेतु भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 10/2/22

(प्रियंका प्रियदर्शिनी)
उपजिलाधिकारी
मेहनगर–आजमगढ़

मुख्य ट्रस्टी
श्रीराम जानकी चैरिटेबुल ट्रस्ट
उमरीगनेशपुर-भोपालपुर, आजमगढ़